न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–04/2026

1. बहादूरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाट उम्र 55 वर्ष निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 5

बनाम

1. रविन्द्र भादू पुत्र सुभाषचन्द्र जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संदीप कुमार पुत्र हजारीलाल ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. सत्यप्रकाश पुत्र रणजीतसिंह सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजेश कुमार पुत्र सीताराम जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. बजरंग पुत्र भल्लेसिंह सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. श्रवण कुमार पुत्र शेरसिंह जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. संतलाल पुत्र इन्द्रजीत हुड्डा निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. मनोज कुमार पुत्र वेदप्रकाश ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. हरीसिंह पुत्र भीयाराम जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. श्रवण कुमार पुत्र सोहनलाल जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना।

–अप्रार्थीगण/अपीलान्ट

उपस्थितः– श्री सुरेन्द्रप्रताप सिंह भारी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,3 ता 5, 7 ता 11

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः– 21/04/2026

प्रार्थी बहादूरसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाट वर्ष निवासी फेफाना तहसील द्वारा दिनांक 29.10.2025 विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर, अपील सं. 97/2025 दिनांक 04.09.2025 समस्त ग्रामवासी फेफाना जरिये रविन्द्र भादू बनाम ग्राम पंचायत फेफाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आदि में अपीलान्ट का पट्टा निरस्त किये जाने व निर्णय पारित किया गया, को अपास्त करवानें बाबत निगरानी पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. आबादी भूमि फेफाना में 100 वर्ष से भी अधिक समय से बरसाती पानी भण्डारण के लिए मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ नाम से दो जोहड़ स्थित है, जिसमें सदामत से आबादी भूमि का समस्त बरसाती पानी इकट्ठा होता रहा हे जो पानी पुरानी समय से पीने के व पशुओ के पीने हेतु समस्त ग्रामवासियो के उपयोग उपभोग में आता रहा है। उक्त दोनो जगह में से एक जोहड़ का माप उतर से दक्षिण 500 फीट व पूर्व से पश्चिम 250 फीट है जिसके उतर में इन्द्रजीत हुड्डा, नंदनलाल शर्मा आदि के पुराने मकान, दक्षिण में गोपीराम गोदारा, वेदप्रकाश शर्मा आदि के पुराने मकान, पूर्व में इन्द्राज शर्मा, भूराराम भादू, मनीराम पिलानिया आदि के पुराने मकान व पश्चिम में रामप्रताप गोदारा, मदन, गोदारा, देवीराम सहारण आदि के पुराने मकान स्थित है । इस प्रकार दुसरे जोहड़ का माप उतर से दक्षिण 375 फीट, पूर्व से पश्चिम 430 फीट है जिसके उतर में गोपीराम, गोदारा, वेदप्रकाश के पुराने मकान, दक्षिण में मोहनलल शर्मा, काशीराम स्वामी, श्योकत अली आदि के पुराने मकान, पूर्व में पनाराम गोदारा, फुलाराम भादूर, मोहरसिंह आदि के पुराने मकान व पश्चिम में भागीरथ सहारण, प्रदीप पूनिया, रामप्रताप पूनिया आदि के पुराने मकान है जिसको मुसानी जोहड़ के नाम से जाना जाता है। आबादी भूमि फेफाना बड़ी आबादी है जिसमें उपर वर्णित दोनो जोहड़ में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाने से बरसात के दिनो से गांव में पानी भराव नही होने तथा उक्त पानी का पशुओ व निवासीयो के उपयोग में लिया जाता रहा है इसलिए समस्त ग्रामवासी फेफाना के इन दोनो जोहड़ो से हित जुडे है। इस वर्ष दिनांक 30.08.2025 व 31.08.2025 को मानसुनी बरसात होने से गांव में पानी इकट्ठा हो गया व घरो में पानी जाने लगा जिस पर अपीलार्थीगण व गावं के अन्य वासिन्दगान द्वारा उक्त बरसाती पानी को उपर वर्णित दोनों जोहड़ो की ओर दिनांक 01.09.2025 को निकालना चाहा तो देखा की उक्त दोनों जोहड़ो मे जगह—जगह मिट्टी से भर्ती कर जोहड़ो की गहराई को कम कर रखा है जिससे उक्त जोहड़ो में क्षमतानुसार पानी इकट्ठा नही होने के कारण बरसाती पानी गांव की गलीयो व घरो में घुस रहा है। इसलिए अपीलार्थीगण व अन्य गावं के वासिन्दगान द्वारा ट्रेक्टरो आदि से जोहड़ में गिराई गई मिट्टी को हटाते हुए दोनो जोहड़ो में गावं की गलियो व घरो में से इकट्ठे हुए पानी को डालना चाहा तो प्रत्यर्थीगण [illegible] तथा मिट्टी हटाने से रोकते हुए पानी निकालने से रोका व इस [illegible] पट्टे बना रखे होना, कहते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 ता 8 ने पट्टो की नकल अपीलार्थीगण व उपस्थित गांव के अन्य वासिन्दगान को दी, जिससे पता चला की प्रत्यर्थीगण सं. 2 ता 8 के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अलग-अलग समय में उपर वर्णित मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ की भूमि पर के अलग-अलग माप में पट्टे जारी कर रखे है तथा शेष प्रत्यर्थीगण ने भी अपने नाम से पट्टे बने होना बताया और उक्त पट्टो के आधार पर ही जोहड़ की भूमि पर मिट्टी भर्ती कर रखी होना बताया। जिसे उक्त दोनों में क्षमतानुसार पानी भण्डारण नही होने से बरसाती पानी गावं की गलीयो व घरो में घुस रहा है उसी समय प्रार्थीगण व गावं वासिन्दगान द्वारा प्रत्यर्थीगण को पट्टे खारीज करवाने का कहने पर उन्होने मिट्टी हटाने व पट्टे खारीज करवाने से इंकार करते हुए यह धमकी दी कि उक्त पट्टो के आधार पर वे जल्द ही पुख्ता निर्माण करेगे। जिस पर समस्त ग्रामवासियो द्वारा गांव में पंचायत कर प्रत्यर्थीगण के पट्टे खारीज करवाने हेतु प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष निवेदन किया तो उन्होने भी इंकार कर दिया। जिस पर समस्त ग्रामवासियो द्वारा सर्वसम्मती से अपीलार्थीगण को बतौर प्रतिनिधि पट्टो को खारीज करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। अपीलाधीन पट्टे मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड़ की भूमि पर जारी है उक्त दोनों जोहड़ की भूमि सार्वजनिक हित की है जिसका ग्राम पंचायत को सार्वजनिक हित के अलावा किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार है। अपीलाधीन पट्टो के अधिकांश पट्टे पुराने गृहो के विनियमितिकरण के तहत नियम 157 के तहत जारी होना अंकित है । जबकि यह भूमि जोहड़ की भूमि है जिसमें पानी का भण्डारण होता रहा है पट्टे धारको का कभी कब्जा या निर्माण नही रहा है इसलिए नियम 157 के तहत पट्टे जारी नही किये जा सकते है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा कुछ पट्टे आबादी भूमि विक्रय विलेख के तहंत नियम 167 के जारी होना अंकित है जबकि उक्त भूमि जोहड़ की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के नाम निलामी या अन्य किसी तरह से विक्रय नहीं किया जा सकता है। पट्टे बिना आपति नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही गुपचुप तरीके से जारी किये है। प्रत्यर्थी सं. 2 ता 47 ने पट्टे के आधार पर जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए मिट्टी आदि का भराव कर लिया, जिससे बरसाती पानी का भण्डारण नही होने के कारण बरसाती पानी गावं की गलीयो व घरो में घुस रहा है व गांव डूबने की कगार पर है। इन पट्टो में अपीलार्थी सं. 9 ता 11 के पक्ष मं भी पट्टे जारी है, जो अपने पट्टो को सार्वजनिक हित में खारीज करवाने में सहमत है । प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 ता 47 के पक्ष में पट्टे जारी कर दिये जाने से प्रत्यर्थी सं. 2 ता 47 जोहड़ में जाने वाले पानी को रोक रहे है तथा ग्रामवासियो [illegible] जोहड़ की खुदाई करने व उक्त जोहड़ के सोन्दर्यकरण हेतु कि[illegible] के आधार पर रोक रहे है । इसलिए इन पट्टो को खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थाई समिति ने अपनी बैठक दिनांक 29.10,2025 को प्रस्ताव सं. 01 (32) द्वारा सत्र समति से लिये गये निर्णयनुसार अपील अपीलान्ट सार्वजनिक हित में स्वीकार कर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टे जिनका विवरण उपर अंकित है। सार्वजनिक उपयोग की जोहड़ो की भूमि व रास्ता की भूमि में होने से खारीज किया जाता निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टे खारीज कर अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत फेफाना को आदेशित किया है उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर उपर वर्णित पट्टो के अलावा अन्य कोई पट्टा भी जारी है वह भी इस निर्णय अनुसार खारीज समझा जावे, सार्वजनिक जोहड़ो की व सड़क की भूमि घोषित किया जाता है आदि आदि निर्णय से व्यथित होकर अपील निम्न आधारो पर पेश है–

1. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति का निर्णय आदेश दिनांक 29.10.2025 विधि विरूद्ध कानून एंव तथ्यो के विपरीत होने के कारण अपास्त करने योग्य है।

2. स्थापना स्थाई समिति ने उक्त अपील को सार्वजनिक हित की मानकर अपना निर्णय देने में कानूनन सम्मत भूल की है क्योंकि अपीलान्ट ने अपील पेश की है उसमें उनका कोई हित नही है यह लोग राजनैतिक आदमी है तथा प्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश रखते है इस कारण से उपरोक्त अपील पेश की है।

3. प्रार्थी के नाम से सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा पट्टा संख्या 19/51 रसीद संख्या 68 दिनांक 8.12.2004 को जारी किया गया है जिसको प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.03.2021 को विधि मान्य किया गया तथा उसका पंजीयन उप पंजीयक नोहर द्वारा दिनांक 24.5.2021 को किया गया है।

4. प्रार्थी का पट्टा किसी भी सार्वजनिक जोहड़ की भूमि में नही है बल्कि ग्राम पंचायत की भूमि होने के कारण विधिवत् पट्टा जारी किया तथा पट्टा जारी करने से पूर्व उसमें निर्माण कार्य कर रखा था एवं पानी का प्रवाह करने के लिए उसमें बोर लगा कर उसका उपयोग किया जा रहा है यह सार्वजनिक भूमि ना होकर पट्टेशुदा एवं कब्जा की भूमि है इसके पूर्व में रमेश शर्मा, भूप गोदारा उसके बाद गली व मदनलाल गोदारा के प्लॉट है।

5. उपरोक्त प्लॉट लाईनिंग में है इसके पूर्व में खड़ंजा निर्माण तथा पाईप लाईन बिछी हुई है तथा विधुत लाईन है। इस प्लाट के पश्चिम में इंटरलोक सड़क है यदि यह सार्वजनिक जोहड़ ही तो ना तो सड़क का निर्माण होता ना ही पानी व विधुत लाईन होती जहां तक सार्वजनिक हित का प्रश्न है अप्रार्थीगण को सार्वजनिक हित की अपील करने का अधिकार नहीं, यह ग्राम के प्रतिनिधि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. जहां तक जोहड़ का प्रश्न है यह यथावत है तथा उसका उपयोग होता है तथा उसकी भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है।

7. निगरानी न्यायालय के श्रवणाधिकार की अंदर मियाद तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 29.10.2025 को अपास्त प्रार्थी के पट्टा की हद तक फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 3 ता 11 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–2 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या– 12 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निगरानी में निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में अंकित किया कि *"ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टे सार्वजनिक उपयोग की भूमि व रास्ता की भूमि पर होनें के कारण खारिज किया जाता है व मौका निरिक्षण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सार्वजनिक जोहड़ो की भूमि व रास्ता आम की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत को आदेशित किया गया जाता है तथा साथ ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर उपर वर्णित पट्टो के अलावा अन्य कोई पट्टा जारी है तो व पट्टा इस निर्णय अनुसार खारिज समझा जावे मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा पेश नक्शा अनुसार जगह को ग्राम पंचायत के अधिकार की सार्वजनिक जोहड़ो की व सड़क की भूमि घोषित किया जाता है"।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में सार्वजनिक उपयोग व रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टों को खारिज किया गया। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय सार्वजनिक हित में है। अतः न्यायालय पंचायत समिति

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर के निर्णय के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:04 IST
Reason: SelfAttested